

02/02/2024

पत्रावली के अंतर्गत वकील उभयपक्ष उभय
 वकील उभयपक्ष की वरत सुन सुनी जाकर
 पत्रावली का अवलोकन, मूल्यांकन किया जाकर
 प्रस्तुत वरत व पत्रावली पर मूल्यांकन के
 आधार पर यह पत्र प्राथमिक के अ. अ.
 251 के L.R. Act के अंतर्गत किया जाता है।
 विस्तृत विवरण पृथक से टाइटिल किया
 जाकर अलग अलग किया गया। पत्रावली
 फॉर्मल सुमार लेकर बाद तकनीक का अंकीकृत
 करके है। लक्ष्मीर पृथक से जारी है।
 विवरण सुले न्यायालय में सुनाया जाकर
 मैंने हस्ताक्षर व न्यायालय सुना से
 जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेख